



प्रधान कार्यालय
जयपुर,
आरबीई सं.-65/2015
दिनांक 29.06.2015

संख्या:-.32-E/0/Allowance RMA(RPF)

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.
समस्त कार्मिक अधिकारी/मुख्य कार्या.अधीक्षक ,मुख्यालय

R.B.E.065/2015

विषय :- Revision in the rate of Ration Money Allowance in respect of Non-Gazetted RPF/RPSF personnel.

- Ref:- 1. Railway board's letter no. E(P&A)I-2005/ALL/RPF/2 dated 19/06/2015.
2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012.(RBE NO.115/2012)
3. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.09.2014.(RBE NO.091/2014)

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 19.06.2015 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंगन- यथोक्त।

(एन.सी.भारद्वाज)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 01. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू | 15 प्रतियाँ। |
| 02. महासचिव- यूपीआरएमएस | 15 प्रतियाँ। |
| 03. महासचिव- एससी/एसटी एसो. | 05 प्रतियाँ। |
| 04. महासचिव- ओबीसी एसो. | 05 प्रतियाँ। |
| 05. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियाँ। |
| 06. महासचिव- एआई.आरपीएफ एसो. | 05 प्रतियाँ। |

प्रतिष्ठान
25 JUN 2015
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

25/6/15
CSC
आर. बी. ई. सं. 65/2015
नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2015

सं. ई(पी एंड ए) I-2005/एएलएल/आरपीएफ/2

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां।

विषय: अराजपत्रित रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कार्मिकों के संबंध में राशन धनराशि भत्ते की दर में संशोधन।

बोर्ड के 28.08.2014 के समसंख्यक पत्र के अनुसार रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के अराजपत्रित कार्मिक, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल (सीपीएमएफ)/केन्द्रीय सशस्त्र सैनिक बल (सीएपीएफ) कार्मिकों के समान 01.04.2013 से 85.96/- रु. के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से राशन धनराशि भत्ते के हकदार थे।

2. अब 01.04.2014 से 31.03.2015 तक राशन धनराशि भत्ते को वर्तमान दर 85.96/- रु. से 95.52/- रु. प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।
3. तदनुसार, 01.04.2014 से 31.03.2015 तक राशन धनराशि भत्ते की दर को संशोधित करके 85.96/- रु. से 95.52/- रु. प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से संशोधित करने के लिए एतत् द्वारा रेल मंत्रालय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. बोर्ड के 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में यथानिर्धारित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
6. कृपया पावती दें।

(के. शकर)

निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 19.06.2015

सं. ई(पी एंड ए) I-2005/एएलएल/आरपीएफ/2
प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे
25 JUN 2015

कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 65/2015.

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF/2


New Delhi, dated 19.06.2015.

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.
NCR, Jaipur

Sub : Revision in the rate of Ration Money Allowance in
respect of Non-gazetted RPF/RPSF personnel.

In terms of Board's letter of even number dated 28.08.2014, non-gazetted RPF/RPSF personnel were entitled for Ration Money Allowance at par with Central Para Military Force (CPMF)/Central Armed Police Force (CAPF) personnel i.e. @ Rs. 85.96/- per day/per head w.e.f. 01.04.2013.

2. It has now been decided to revise the rate of Ration Money Allowance from existing rate of Rs. 85.96 per head per day to Rs. 95.52 per head per day from 01.04.2014 to 31.03.2015.
3. Accordingly, sanction of the Ministry of Railways is hereby accorded post-facto to revise the rate of Ration Money Allowance from Rs. 85.96 per head per day to Rs. 95.52 per head per day from 01.04.2014 to 31.03.2015.
4. The other terms and conditions as stipulated in para 4 of Board's letter of even number dated 10.06.2009 remain unchanged.
5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
6. Please acknowledge receipt.


(K. Shankar)
Director Estt. (P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF/2

New Delhi, dated 19.06.2015.

Copy to:

1. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

Contd....2/-